

05.07.21

वकील अपीलांट उप0। अपीलांट की ओर से एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रकरण मे अपीलांट एवं रेस्पोंडेंट के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है। जिसके कारण वह उक्त अपील को आगे नहीं चलाने चाहते है। अतः उक्त अपील मय स्थगन प्रार्थना-पत्र को जरिये विज्ञोल प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए खारिज फरमाया जावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अपीलांट अधिवक्ता के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः न्यायहित में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र को स्वीकार किया जाकर पत्रावली जरिये विज्ञोल खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु दाखिल दफतर हो।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

[Handwritten marks]

[Handwritten mark]